



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जून 4—जून 10, 2017, शनिवार/ज्येष्ठ 14—ज्येष्ठ 20, 1939
No. 22] NEW DELHI, JUNE 4—JUNE 10, 2017, SATURDAY/ JYAISTHA 14—JYAISTHA 20, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 2015

सा.का.नि. 203.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) संशोधन नियम, 2015 कहा जा सकता है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 की अनुसूची IV में, क्रमशः फॉर्म 'क' और फॉर्म 'ख' के स्थान पर निम्नलिखित फॉर्म रखे जाएंगे, अर्थात् :-

टिप्पणी : सैद्धांतिक नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 09 अप्रैल, 2015 में भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 5th June, 2017

G.S.R. 210.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Multi Tasking Staff, Group 'C', Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Multi Tasking Staff, Group 'C', Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), Multi Tasking Staff, Group 'C', Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification, level in pay matrix or pay scale.- The number of post, its classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the said rules, in the Schedule,-

(A) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix or pay scale.";

(ii) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level 1 in the pay matrix Rs.(18000-56900).".

[F. No. A-50011/12/2016-17/Admn.]

ARUN KUMAR YADAV, Director (Handicrafts)

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.279(E), dated the 9th April. 2015.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

सा.का.नि. 211.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उसका संबंध मैकेनिक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. सी. जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में मैकेनिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, मैकेनिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है :

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| मैकेनिक | 02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय | स्तर -2 (19900-63200 रु.) | अचयन | 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, शिक्कम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अन्डमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (7) | (8) | (9) |
| किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण और किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर या विद्युत या इलैक्ट्रानिकी श्रेणी के संबंधित कार्य में तीन वर्ष अनुभव का प्रमाण पत्र। | आयु : नहीं शैक्षिक और दूसरी अर्हता : हां, स्तंभ (7) में यथा प्रस्तावित | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>वांछनीय : रेफरिजेशन और एयर कंडीशन या मैकेनिकल या विद्युत में डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हताएं निदेशक के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर निदेशक की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखन वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p> | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।</p> | <p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p> |
| <p>(10)</p> | <p>(11)</p> |
| <p>(i) 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और</p> <p>(ii) 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p> | <p>प्रोन्नति : किसी आद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर या विद्युत या इलैक्ट्रानिकी श्रेणी में प्रमाणपत्र के साथ ऐसे बहु कार्य कर्मचारिवृंद जिन्होंने स्तर -1 वेतन मैट्रिक्स (18000- 56900 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिपपण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिपपण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले उस तारीख से, जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p> | <p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p> |
| <p>(12)</p> | <p>(13)</p> |
| <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई -अध्यक्ष 2. उप सहायक निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य 3. तकनीकी अधिकारी, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार से राजपत्रित अधिकारी - सदस्य | <p>लागू नहीं होता।</p> |

[फा. सं. ए-12018/17/2015-ईपीआई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th June, 2017

G.S.R 211.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Mechanic, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mechanic in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: -

1. **Short title and commencement .—**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Mechanic (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in the Pay Matrix. | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Mechanic | 5* (2017) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Services, Group 'C', Non-Ministerial. | Level-2 (Rs. 19900-63200). | Non-selection. | Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and | Matriculation pass from a recognised Board or equivalent and Certificate from Industrial Training Institute in Fitter or Electrical or Electronic grade with three years experience in the related work. Desirable: Diploma in refrigeration and Air condition or Mechanical or Electrical. Note. —The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Director in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | not the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. | Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Director is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Age—No Education and other Qualification - yes, as proposed in column(7) | Two years for direct recruits. | (i) 60 % by promotion ; and (ii) 40 % by direct recruitment. | <p>Promotion : Multi Tasking Staff having Certificate from Industrial Training Institute in Fitter or Electronics or Electrical grade with three years regular service in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-)</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying</p> | <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for (considering promotion and confirmation) consisting of:-</p> <p>(i) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai -Chairman. (ii) Deputy Assistant Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai - Member. (iii) Technical Officer, BCG Vaccine Laboratory, Chennai -Member. (iv) Gazetted Officer from Central/ State Government -Member.</p> | Not applicable. |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | | service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission. | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

[F. No. A-12018/17/2015-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 2017

सा.का.नि. 212.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2003 को जहां तक उनका सम्बंध नक्शानवीस श्रेणी-III पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के अधीन, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए है किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।